-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 15.06.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना पैलानी क्षेत्रांतर्गत ग्राम पिपरहरी में अवैध तमंचा से फायर कर महिला को घायल करने वाले वांछित अभियुक्त पर दस हजार रुपये का इनाम किया गया घोषित।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 14.05.2024 को थाना पैलानी पर पंजीकृत अवैध तमंचे से फायर कर हत्या का प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। गौरतलब हो कि थाना पैलानी क्षेत्र के ग्राम पिपरहरी में दिनांक 14.05.2024 को अभियुक्तों 1-जयप्रकाश उर्फ नन्हे पुत्र सियाराम तथा 2- शिवप्रकाश उर्फ लाला पुत्र सियाराम द्वारा अवैध तमंचों से फायर किया गया जिससे पास की ही एक महिला गम्भीर रुप से घायल हो गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना पैलानी पर मु0अ0सं0- 107/24 धारा 307/504 भादवि पंजीकृत किया गया था। जिसके क्रम में अभियुक्त जयप्रकाश उर्फ नन्हे को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है जबकि दूसरा अभियुक्त शिवप्रकाश उर्फ लाला वांछित चल रहा है जिसकी जल्द गिरफ्तारी हेतु दिनांक 14.06.2024 को पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा अभियुक्त शिवप्रकाश उर्फ लाला पुत्र सियाराम निवासी पिपरहरी थाना पैलानी जनपद बांदा पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। वांछित अभियुक्त की सूचना जो भी व्यक्ति देगा उसे इनाम दिया जायेगा। सभी से निवेदन है कि वांछित अभियुक्त के कहीं भी दिखने/सूचना मिलने पर इसकी सूचना मोबाइल नम्बर- 9454400257, 9454401029, 9454401355, 9454403047 पर दें।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शिवप्रकाश उर्फ लाला उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 88/24 धारा 308/323/504 भादवि थाना पैलानी जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 20/24 धारा 452/354/504/506 भादवि थाना पैलानी जनपद बांदा।